

**The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill,
2024(Amendment of Section 1, etc.) -Introduced**

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

DR. DHARAMVIRA GANDHI: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री शेर सिंह घुबाया - उपस्थित नहीं ।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं ।